Regd. No. CHD/0093/2012-2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, THURSDAY, FEBRUARY 28, 2013
(PHALGUNA. 9, 1934 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 28th February, 2013

No. 7—HLA of 2013/10.—The Haryana Non-biodegradable Garbage (Control) Amendment Bill, 2013, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 7—HLA of 2013

THE HARYANA NON-BIODEGRADABLE GARBAGE (CONTROL) AMENDMENT BILL, 2013

A

BILL

further to amend the Haryana Non-biodegradable Garbage (Control) Act, 1998.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fouth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Haryana Non-biodegradable Garbage (Control) Amendment Act, 2013.

Amendment of long title of Haryana Act 8 of 1998.

2. In the Haryana Non-biodegradable Garbage (Control) Act, 1998 (hereinafter called the principal Act), in the long title, for the words and signs "Haryana Non-biodegradable Garbage (Control)", the words and signs "Haryana Non-biodegradable Material Manufacturing, Sale, Distribution, Stock, Usage, Disposal and Garbage Control" shall be substituted.

Amendment of preamble to Haryana Act 8 of 1998.

3. In the principal Act, for the existing preamble, the following preamble shall be substituted, namely:—

"to regulate manufacturing, sale, distribution, stock, usage and disposal of non-biodegradable material and prohibition of throwing and depositing of non-biodegradable garbage in public drains, sewerage, roads and places open to public view in the State of Haryana and for matters connected therewith or incidental thereto.".

Amendment of short title of Haryana Act 8 of 1998.

4. In the principal Act, in the short title, for the words and signs "Haryana Non-biodegradable Garbage (Control)", the words and signs "Haryana Non-biodegradable material manufacturing, sale, distribution, stock, usage, disposal and garbage control" shall be substituted.

Amendment of section 2 of Haryana Act 8 of 1998.

5. In section 2 of the principal Act,-

(I) after clause (b), the following clause shall be inserted, namdy:—

'(bb) "competent authority" means an authority, as the State Government may, by notification appoint;';

(II) in clause (f),-

(i) for the words "living being", the words "micro-organisms" shall be substituted; and

(ii) the words "and are more specifically included in the Schedule to this Act" existing at the end shall be omitted;

(III) after clause (f), the following clause shall be added, namely:—

'(ff) "non-biodegradable material" means the material which cannot be decomposed or degraded by action of micro-organisms, sunlight or other natural actions and includes goods made or manufactured from Polythene, Nylon or other plastic substances such as Poly Vinyl Chloride (P.V.C.), Poly-Propylene and Poly-Styrene and includes such other materials as specified by the State Government, by notification, from time to time.

(IV) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:—

'(g) "occupier" means and includes,—

(i) any person who for the time being is paying or is liable to pay licence fee or rent for land or building or any portion thereof in respect of which such licence fee or rent is paid or is payable;

(ii) an owner in occupation of or otherwise using his land or building;

(iii) a rent free tenant of any land or building; and

(iv) any person who is liable to pay to the owner or any other person, damages for the use and occupation of any land or building;' .

6. After section 3 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:— Insertion of section 3A in Haryana Act 8 of 1998.

"3A. Prohibition to manufacture, use etc. of non-biodegradable material.- (1) The State Government may, by notification, impose restriction or prohibition on the usage, sale, stock, distribution of things made of non-biodegradable material which is contrary to the norms, as the State Government may, by notification specify.

(2) The State Government may impose requirements on manufactuers, distributors and other persons who produce or handle commodities, with respect to the type, size, labeling and composition of packaging material, keeping in view use and disposal including standards and/or norms for material degradability and re-cyclability.".

7. In section 6 of the principal Act after the words "may think necessary" occurring at the end, the following words and signs shall be added, namely:— amendment of section 6 of Haryana Act 8 of 1998.

"and dispose of the said garbage or material at the cost of such person in the manner as provided under sub-section (5) of section 7A of this Act.".

8. After section 7 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:— Insertion of section 7A in Haryana Act 8 of 1998.

"7 A. Power of entry and inspection.- (1) Subject to the provisions of this section, any person empowered by the State Government, by notification in this behalf, shall have a right to enter, at all reasonable times, with such assistance as it considers necessary, any place—

(a) for the purpose of performing any of the functions entrusted to him by the State Government; or

(b) for the purpose of determining whether and if so in what matter, any such functions are to be performed or whether any provisions of this Act or the rules made there under or any notice, order or direction served, made or, given under this Act is being or has been complied with; or

(c) for the purpose of examining any record, register, document or any other material object or for conducting a search of any building in which he has reason to believe that an offence

under this Act or the rules made thereunder has been or is being or is about to be committed and for seizing such record, register, document or other material object if he has reasons to believe that it may furnish evidence of the commission of an offence punishable under this Act or the rules made thereunder.

(2) Every person handling any non-biodegradable material or non-biodegradable garbage shall be bound to render all assistance to the person empowered under sub-section (1) for carrying out the functions under that sub-section and if he fails, to be punished under this Act.

(3) if any person willfully delays or obstructs any person empowered under sub-section (1), in the performance of his functions, he shall be liable to be punished under this Act.

(4) The provisions of Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) shall, so far as may be, apply to any search or seizure under this section as they apply to any search or seizure made under the authority of a warrant issued under section 94 of the said Code.

(5) Any non-biodegradable garbage or non-biodegradable material seized under this section shall be disposed of in the manner, as the State Government, by notification, specify.".

Amendment of section 8 of Haryana Act 8 of 1998.

9. For sub-section (1) of section 8 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) Any person who contravenes any of the provisions of this Act or of any rules, notification or order made, issued or given under this Act, shall be guilty of an offence and punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to rupees fifty thousand, or with both.".

Amendment of section 11 of Haryana Act 8 of 1998.

10. In section 11 of the principal Act,—

(I) In sub-section (1), for the words "such officer may specify" existing at the end, the words "the State Government may, by notification, specify" shall be substituted;

(II) For sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(2) Where any offence has been compounded under sub-section (1), no proceeding shall be taken against the offender in respect of the offence as compounded, and the offender, if in custody, shall be discharged. However, there shall be no compounding for the second or repeated offence.".

11. For section 12 of. principal Act, the following section shall be substituted, namely:— Amendment of section 12 of Haryana Act 8 of 1998.

"12. The local authority and the competent authority shall carry out such directions, as may be issued to it, from time to time, by the State Government, for the efficient administration of this Act.".

12. Section 13 of the principal Act shall be omitted. Ommission of section 13 of Haryana Act 8 of 1998.

13. For section 15 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:— Amendment of section 15 of Haryana Act 8 of 1998.

"No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or the local authority, or the competent authority or any officer or other employees of the State Government or of the local authority or the competent authority for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made thereunder.".

14. Schedule to the principal Act shall be omitted. Ommission of Schedule to Haryana Act 8 of 1998.

15. In the principal Act, for the word "sewage" wherever occurring, the word "sewerage" shall be substituted. Amendment of certain provisions of Haryana Act 8 of 1998.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State Government is committed to provide clean and hygienic living conditions to the inhabitants of the State. The issues and challenges to maintain clean civic conditions are being continuously addressed by necessary legislations as well as creating awareness among the residents. The wide usage of plastic carry bags made of non-biodegradable material is one of the major cause of the civic pollution particularly in urban areas. While the notification dated 3.1.2011 issued under Section 3(2) read with 25 of the Environment Protection Act, 1986 provide for imposing various penalties for manufacturing, distribution and usage of plastic carry bags and articles, the Haryana Non-biodegradable Garbage (Control) Act, 1998 addresses the issues of non-biodegradable garbage.

Further, the Environment Protection Act, 1986, provides for prosecution of offenders and not challenging/ compounding of offences. Given the wide spread usage of plastic carry bags, it is desirable that the provision of challaning/ compouding is made.

Therefore, a need has been felt to address the issues of non-biodegradable garbage in terms of manufacturing, sale, distribution, stock, usage and disposal. The proposed amendments in the Act No. 8 of 1998 seek to address the above issues.

BHUPINDER SINGH HOODA,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 28th February, 2013.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2013 का विधेयक संख्या 7-एच० एल० ए०

हरियाणा जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, 2013

हरियाणा जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1998, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) संशोधन अधिनियम, 2013, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1998 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) में, दीर्घ शीर्ष में, "हरियाणा जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण)" शब्दों तथा चिह्नों के स्थान पर, "हरियाणा जीव अनाशित सामग्री विनिर्माण, विक्रय वितरण, भण्डारण, उपयोग, निपटान तथा "कूड़ा-कचरा नियन्त्रण" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 1998 के हरियाणा अधिनियम 8 के दीर्घ शीर्ष का संशोधन

3. मूल अधिनियम में, विद्यमान प्रस्तावना के स्थान पर, निम्नलिखित प्रस्तावना प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :-- 1998 के हरियाणा अधिनियम 8 की प्रस्तावना का संशोधन।

> "हरियाणा राज्य में जीव अनाशित सामग्री के विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, उपयोग तथा निपटान विनियमित करने तथा सार्वजनिक नालियों, मलवहन, सड़कों और जनता को दृष्टिगोचर खुले स्थानों में जीव अनाशित कूड़ा-कचरा फेंकने तथा जमा करने को निषेध करने तथा उससे सम्बन्धित या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए अधिनियम।"।

4. मूल अधिनियम में, संक्षिप्त नाम में, "हरियाणा जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण)", शब्दों तथा चिह्नों के स्थान पर, "हरियाणा जीव अनाशित सामग्री विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, उपयोग, निपटान तथा कूड़ा-कचरा नियन्त्रण" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 1998 के हरियाणा अधिनियम 8 के संक्षिप्त नाम का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 2 में,-- 1998 के हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 2 का संशोधन।

(i) खण्ड (ख) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(खक) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्राय है, प्राधिकारी जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियुक्त करे;';

(II) खण्ड (च) में,--

(i) "जीवित प्राणियों की" शब्दों के स्थान पर, "सूक्ष्मजीव" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) अन्त में विद्यमान "और जो इस अधिनियम की अनुसूची में अधिक विशिष्टितया सम्मिलित किए गए हैं" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा;

(III) खण्ड (च) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :--

'(चच) "जीव अनाशित सामग्री" से अभिप्राय है, सामग्री जो सूक्ष्मजीव, धूप की कार्रवाई या अन्य प्राकृतिक कार्रवाई द्वारा बहुसंयुक्त या निम्नीकृत नहीं की जा सकती तथा इसमें पॉलिथीन, नाइलोन या अन्य प्लास्टिक पदार्थों जैसे पॉलि वाइनिल फ्लोराइड (पी०वी०सी०), पॉलि-प्रोपीलीन तथा पॉलि-स्ट्रीन से बनाया गया या विनिर्मित माल शामिल हैं तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी अन्य सामग्री भी शामिल है'।

(IV) खण्ड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :--

'(छ) "अधिभोगी" से अभिप्राय है तथा इसमें शामिल हैं, --

(i) कोई व्यक्ति जो तत्समय भूमि या भवन या उसके किसी भाग जिसके सम्बन्ध में ऐसी अनुज्ञप्ति फीस या किराये का भुगतान कर दिया है या भुगतानयोग्य है, के लिए अनुज्ञप्ति फीस या किराये का भुगतान कर रहा है या भुगतान करने के लिए दायी है;

(ii) अपनी भूमि या भवन के अधिभोग में या अन्यथा से उपयोग कर रहा कोई स्वामी;

(iii) किसी भूमि या भवन का किराया मुफ्त किरायेदार; तथा

(iv) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन के उपयोग तथा अधिभोग हेतु स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति का भुगतान करने के लिए दायी है ;'।

6. मूल अधिनियम की धारा 3 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जायेगी, अर्थात् :-- 1998 के हरियाणा अधिनियम 8 में धारा 3क का रखा जाना।

"3क. **जीव अनाशित सामग्री, के विनिर्माण, उपयोग इत्यादि का निषेध.**--(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, जीव अनाशित सामग्री से बनी वस्तुओं के उपयोग, विक्रय, भण्डारण, वितरण पर प्रतिबन्ध या निषेध अधिरोपित कर सकती है, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यथा विनिर्दिष्ट मानदण्डों के प्रतिकूल है।

(2) राज्य सरकार, विनिर्माताओं, वितरकों और अन्य व्यक्तियों जो निम्नीकरणीयता तथा पुन: चक्रणीयता सामग्री के लिए मानकों और/या मानदण्डों सहित उपयोग तथा व्ययन के दृष्टिगत सामग्री की किस्म, आकार, लेबलिंग तथा पैकेजिंग की संरचना के सम्बन्ध में उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं या व्यापार करते हैं, पर शर्तें अधिरोपित कर सकती है।"।

7. मूल अधिनियम की धारा 6 में, अन्त में आने वाले "जो वह आवश्यक समझे" शब्दों के बाद, निम्नलिखित शब्द तथा चिह्न जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-- 1998 के हरियाणा अधिनियम 8 में धारा 6 का संशोधन.

"और उक्त कूड़ा-कचरा या सामग्री का निपटान इस अधिनियम की धारा 7क की उपधारा (5) के अधीन यथा उपबन्धित रीति में ऐसे व्यक्ति की लागत पर किया जाएगा"।

8. मूल अधिनियम की धारा 7 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जायेगी, अर्थात् :-- 1998 के हरियाणा अधिनियम 8 में धारा 7क का रखा जाना।

"7क. **प्रवेश तथा निरीक्षण की शक्ति.**--(1) इस धारा के उबन्धों के अध्यधीन, राज्य सरकार द्वारा, इस निमित्त अधिसूचना द्वारा, सशक्त किसी व्यक्ति को, किसी स्थान पर, ऐसी सहायता सहित जैसा आवश्यक समझे, सभी युक्तियुक्त समय पर, प्रवेश करने का अधिकार होगा--

(क) राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे गए किन्हीं कृत्यों की अनुपालना के प्रयोजन हेतु; या

(ख) अवधारित करने के प्रयोजन हेतु चाहे तथा यदि ऐसा है, तो किस मामले में, किन्हीं ऐसे कृत्यों की अनुपालना की जानी है या क्या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबन्धों या इस अधिनियम के अधीन तामील किए गए किसी नोटिस, किए गए आदेश या दिए गए निर्देश की अनुपालना की जा रही है या की गई है; या

(ग) किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या किसी अन्य सामग्री विषय के परीक्षण या किसी भवन की तलाशी करने के प्रयोजन हेतु जिसमें उसके पास विश्वास का कारण है कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है या किए जाने की सम्भावना है तथा ऐसा अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य सामग्री विषय जब्त करने हेतु यदि उसके पास विश्वास का कारण है कि यह इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दण्डनीय अपराध करने के साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

(2) किसी जीव अनाशित सामग्री या जीव अनाशित कूड़ा-कचरा का व्यापार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन सशक्त व्यक्ति को उस उपधारा के अधीन कृत्यों को कार्यान्वित करने हेतु सभी सहायता देने के लिए बाध्य होगा तथा यदि वह असफल रहता है, तो इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय होगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन सशक्त किसी व्यक्ति को उसके कृत्यों की अनुपालना मे जानबूझकर विलम्ब या बाधा डालता है, तो वह इस अधिनियम के अधीन दण्डित किए जाने के लिए दायी होगा।

(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबन्ध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन किसी तलाशी या जब्ती को उसी प्रकार लागू होंगे जैसा वे उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन जारी वारंट के प्राधिकार के अधीन की गई किसी तलाशी या जब्ती को लागू हैं।

(5) इस धारा के अधीन जब्त की गई कोई जीव अनाशित कूड़ा-कचरा या जीव अनाशित सामग्री का निपटान ऐसी रीति में किया जाएगा, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।"।

1998 के हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 8 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :--

"(1) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाये गए किन्हीं नियमों, जारी की गई अधिसूचना या दिए गए आदेश के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो वह अपराध का दोषी होगा तथा वह कारावास की ऐसी अवधि के लिए जो तीन मास तक हो सकती है या ऐसे जुर्माना से जो पचास हजार रुपए तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।"।

1998 के हरियाणा अधिनियम 8 मे धारा 11 का संशोधन।

10 मूल अधिनियम की धारा 11 में,--

(I) उपधारा (1) मे, अन्त में विद्यमान "ऐसा अधिकारी विनिर्दिष्ट करे, शमन किया जा सकेगा" शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, "राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करें, प्रशमन किया जा सकेगा" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(II) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का प्रशमन किया गया है, वहां यथा प्रशमित अपराध के सम्बन्ध में अपराधी के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की जायेगी, और अपराधी, यदि अभिरक्षा में हो, उन्मोचित कर दिया जायेगा। तथापि द्वितीय या पुनरावृत्त अपराध के लिए प्रशमन नहीं किया जाएगा।"।

11. मूल अधिनियम की धारा 12 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :-- 1998 के हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 12 का संशोधन।

"12. स्थानीय प्राधिकरण तथा सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए ऐसे निर्देशों को कार्यान्वित करेगा, जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, उसे जारी किए जाएं।"।

12. मूल अधिनियम की धारा 13 का लोप कर दिया जाएगा। 1998 के हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 13 का लोप।

13. मूल अधिनियम की धारा 15 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-- 1998 के हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 15 का संशोधन।

"15. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, या सक्षम प्राधिकारी अथवा राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या सक्षम प्राधिकारी के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।"।

14. मूल अधिनियम की अनुसूची का लोप कर दिया जाएगा। 1998 के हरियाणा अधिनियम 8 की अनुसूची का लोप।

15. मूल अधिनियम में, "मल व्ययन" शब्द जहां कहीं भी आएं, के स्थान पर, "मलवहन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा। 1998 के हरियाणा अधिनियम 8 के कतिपय उपबन्धों का संशोधन।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

राज्य सरकार अपने नागरिकों को साफ सुथरा एव स्वच्छ जीवन यापन करने के लिए वचनबद्ध है। स्वच्छ जन सुविधाओं को बनाये रखने के रास्ते में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी बिल तथा लोगों में जागृति लाई जाती है। ना गलने वाले पदार्थों से बनने वाली प्लास्टिक की थैलियां खास तौर पर शहरी इलाके में वातावरण को दूषित करने का एक बड़ा कारण है कि प्लास्टिक की थैलियां व सामान के बनाने, वितरित करने व प्रयोग करने पर हरियाणा, न गलने वाला कचरा नियंत्रण एक्ट, 1998 इसी विषय को दर्शाता है। दिनांक 3-1-2011 की धारा 3 (2) के अन्तर्गत 25 ई०पी० एक्ट, 1986 के अधीन विभिन्न प्रकार के दण्ड व जुर्माने का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त वातावरण सुरक्षा एक्ट, 1986 में इस बारे दोषियों को दण्ड देने का प्रावधान है न कि दोषी का चालान करना/जुर्माना लगाना। प्लास्टिक कैरी बैग का खुलकर प्रयोग होने को रोकने के लिए चालान करना व जुर्माना लगाना जरूरी समझा गया है।

इसलिए न गलने वाले कचरे का सामान बनाने, बेचने, वितरित करने, भण्डारण करने, प्रयोग करने व फेंकने को रोकने के लिए इसका हल जरूरी समझा गया। एक्ट, 1998 की धारा सख्या 8 को संशोधित करने का उद्देश्य यही है।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा,
मुख्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 28 फरवरी, 2013.

सुमित कुमार,
सचिव।